रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 23, 1973/भाद्र 1, 1895
No. 192] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 1973/BHADRA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

### RESOLUTION

*New Delhi, the 23rd August 1973*

**No. 36(1)/71-LI(I).**—On receipt of information that the prices of Jute based and Felt based Linoleum produced by M/s. India Lineleums Ltd., the only manufacturer in the field, were high the Government of India requested the Tariff Commission to investigate the cost structure and recommend fair selling prices for the items under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951. The report of the Commission has now been received. The main recommendations of the Commission are:

(1) The fair ex-factory and wholesale prices for destination for home markets inclusive of the commission to the Distributors for the price period ending June, 1973, are given in the statement enclosed. (Anexure I),

(2) The above prices have been calculated on the basis of the bonus being limited to 4 per cent. As the Company has stated that a bonus of 20 per cent. has been usually paid, the fair prices on the basis of 20 per cent bonus have also been calculated. (Annexure I).

(3) The above prices are for a duration of 2 years initially.

(4) The Tariff Commission have also indicated the adjustments to be carried on in the case of variation in the prices of main raw materials. (Annexure I).

(5) The quality of Hessian and Felt based Linoleum has been held to be generally satisfactory by the consumers.

(6) This industry is by and large export oriented, the domestic demand accounting for 50 per cent. of the production. This item sells mainly on consumer appeal only and cannot be considered as essential commodity.

The Government of India have accepted the recommendations of the Tariff Commission in regard to prices subject to the modification that the prices recommended by Tariff Commission shall hold good for a further period of two years. Government have advised M/s. India Lineleums Ltd. to conform to the prices recommended by the Tariff Commission and notified in Annexure I.

Government are taking steps to include this industry in the First Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, so that a formal price control can be enforced under that Act.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India and copy thereof communicated to all concerned.

ANNEXURE I

*Prices recommended by Tariff Commission for different qualities taking into account bonus of 4 per cent.*

| Quality | Ex-factory fair prices inclusive of Return | Recommended fair prices, inclusive of 7 % distribution commission, F.O.R. destination (rounded to nearest 25 paise). |
|---|---|---|
| *Plains* | | |
| (all shades other than M.B. Green) | | |
| 4·5 mm | 34·79 | 41·50 |
| 3·2 mm | 25·51 | 30·00 |
| 2·00 mm | 16·75 | 19·75 |
| *Inlaids* | | |
| (all shades and designs) | | |
| 2·00 mm | 17·98 | 21·25 |
| 1·65 mm | 14·98 | 17·50 |
| *Printed* | | |
| (all designs) | 13·83 | 16·00 |
| *Indoleum* | | |
| (Felt based) | 8·40 | 9·75 |

NOTES:—

(1) These prices are exclusive of all commodity taxes on finished linoleum, whether Central, State or Local.

(2) Supplementary charges for Plain Linoleum of M.B. Green shade would be:—

(i) For 4.5 mm—Rs. 3 per metre (2 metres wide)

(ii) For 3.2 mm—Rs. 2 per metre (2 metres wide)

(iii) For 2.0 mm—Rs. 1.50 per metre (2 metres wide)

(3) The above prices would be subject to escalations for changes in the prices of Hessian and raw Linseed oil as detailed below:

(i) *Hessian.*—The Tariff Commission have stated that a suitable method of determining the price of Linoleum backing would be to place it at a discount of 10 per cent. below the ruling price of carpet backing. For the future therefore, if there are any variations in Carpet Backing prices the 10 per cent differential as between the two might continue to be maintained except that no change, need be made in Linoleum prices unless the movement in Carpet Backing prices, upwards or downwards, exceeds the base figure by 10 per cent or more over the base figure for Carpet Backing of Rs. 4024 per metric tonne. For every Rs. 100 increase or decrease per tonne of Hessain cost above or below 10 per cent would mean a corresponding change at 6 paise per two square metre (i.e. per metre of standards width of 2 metres) for Plains and 7 paise for Inlaids and Printed qualities. (Para 13.3.1.3 read with para 13.3.1.5 )

(ii) *Linseed Oil.*—In the case of variation in either direction in raw Linseed oil prices in excess of 10 per cent. of the figure of Rs. 3,350 per tonne adopted by the Tariff Commission the prices of Linoleum products should be raised or lowered by the amounts per metre (Equivalent to two square metres) indicated below for every Rs. 100 per tonne by which the actual market price of Linseed Oil (average of six weeks) is higher or lower than the limits prescribed. (para 13.3.2.3)

| *Quality* | *Escalation* |
|---|---|
| *Plain* | Rs. Metre ( 2 metres width) |
| 4·5 mm | 0·32 |
| 3·2 mm | 0·20 |
| 2·0 mm | 0·12 |
| *Inlaids* | |
| 2·00 mm | 0·15 |
| 1·65 mm | 0·10 |
| *Printed* | |
| 1·65 mm | 0·06 |
| | Para 13·3·2·3 |

(4) In case additional Bonus of 16 per cent. over the minimum of 4 per cent. becomes compulsorily payable, the increase in prices of Linoleum would be as below:—

| | Rs. Metres (2 metres wide) |
|---|---|
| *Plains* | |
| 4·5 mm | 0·44 |
| 3·2 mm | 0·32 |
| 2·0 mm | 0·24 |
| *Inlaids* | |
| 2·0 mm | 0·24 |
| 1·65 mm | 0·20 |
| *Printed* | |
| 1·65 mm | 0·24 |
| Indoleum (Felt based) | 0·12 |
| | (para 13.12.7) |

C. BALASUBRAMANIAM, Jt. Secy.

## औद्योगिक विकास मंत्रालय

### संकल्प

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1973

सं० 36(1)/71-एल०आई० (1).—लिनोलियम के एक मात्र निर्माता मैसर्स इंडिया लिनोलियम लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले जूट तथा फेल्ट पर आधारित लिनोलियम की कीमतों के ऊंचे होने की सूचना मिलने पर भारत सरकार ने प्रशुल्क आयोग अधिनियम 1951 की धारा 12(घ) के अन्तर्गत प्रशुल्क आयोग से उन वस्तुओं के लागत ढांचे तथा उचित मूल्य पर बेचने की जांच करने का अनुरोध किया था। आयोग का प्रतिवेदन अब प्राप्त हो गया है। आयोग की प्रमुख सिफारिशें ये हैं :—

1. देश के बाजारों में गन्तव्य स्थान तक कारखाने से निकलते समय का तथा थोक बिक्री का जून, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि तक का उचित मूल्य जिसमें वितरक का कमीशन भी शामिल है संलग्न विवरण (अनुबन्ध 1) में दिया गया है।

2. चार प्रतिशत की सीमा तक बोनस की गणना करके उपरोक्त कीमतें निर्धारित की गई हैं। कंपनी ने बताया है कि 20 प्रतिशत बोनस आम तौर से दिया गया है, अतः उचित कीमतों की गणना 20 प्रतिशत बोनस के आधार पर की गई है (अनुबन्ध 1)।

3. प्रारम्भ में उपरोक्त कीमतें 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित हैं।

4. प्रशुल्क आयोग ने यह भी बताया है कि प्रमुख कच्चे माल की कीमतों की विभिन्नता का कैसे समंजन किया जाये (अनुबन्ध 1)।

5. उपभोक्ताओं ने आमतौर से यह धारणा प्रकट की ह कि टाट (हेसियम) तथा फेल्ट पर आधारित लिनोलियम की किस्में संतोषप्रद हैं।

6. समग्रदृष्टि से यह उद्योग निर्यातोन्मुख है, उत्पादन की 50 प्रतिशत मांग देश के भीतर की है। यह उत्पाद मुख्यतः उपभोक्ता को आकर्षक लगने के कारण बिकता है अतः आवश्यक वस्तु नहीं माना जा सकता।

भारत सरकार ने इस संशोधन सहित कि प्रशुल्क आयोग द्वारा संस्तुत कीमतें दो वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिये ही होंगी, प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। सरकार ने मैसर्स इंडिया लिमिटेड को सूचित किया है कि व प्रशुल्क आयोग द्वारा संस्तुत तथा अनुबन्ध 1 में अधिसूचित कीमतों को ही मानें।

सरकार इस उद्योग के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में शामिल करने हेतु कदम उठा रही है ताकि अधिनियम के अधीन औपचारिक मूल्य नियंत्रण प्रवर्तित किया जा सके।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा उसकी प्रतियां सभी संबन्धितों को भजी जायें।

अनुबन्ध I

4% बोनस को ध्यान में रखते हुए विभिन्न किस्मों के लिये प्रशुल्क आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्य

| किस्म | कारखाने से निकलते समय के प्रत्यागम सहित उचित मूल्य | 7% वितरण कमीशन, रेल के गन्तव्य स्थान तक भाड़ा मुक्त सहित (निकटतम 25 पै० कर दिया गया है) सिफारिश किये गये मूल्य |
|---|---|---|
| **सादा** | | |
| (एम० बी० हरे रंग के अलावा अन्य सभी रंग) | | |
| 4.5 मिली मीटर . . . | 34.79 | 41.50 |
| 3.2 मिली मीटर . . . | 25.51 | 30.00 |
| 2.00 मिली मीटर . . | 16.75 | 19.75 |
| **अंकित** | | |
| (सभी रंगों और डिजाइनों की) | | |
| 2.00 मिली मीटर . . . | 17.98 | 21.25 |
| 1.65 मिली मीटर . . . | 14.98 | 17.50 |
| **छपे हुए** | | |
| (सभी डिजाइनों के) . . | 13.83 | 16.00 |
| **इण्डोलियम** | | |
| (फेल्ट बेस्ड) . . . | 8.40 | 9.75 |

(पैरा 13:12.9)

**टिप्पणी :**

(1) इन मूल्यों में तैयार लिनोलियम की वस्तुओं पर लगने वाले सभी कर चाहे केन्द्रीय हों अथवा स्थानीय, शामिल नहीं हैं ।

(2) एम० बी० हरे रंग के सादे लिनोलियम के पूरक प्रभार निम्न प्रकार होंगे :—

(i) 4.5 मि० मी० के लिये—3 रुपये प्रति मीटर (2 मीटर चौड़ाई)

(ii) 3.2 मि० मी०—2 रुपये प्रति मीटर (2 मीटर चौड़ाई) ।

(iii) 2.0 मि० मी०—1.50 रु० प्रति मीटर (2 मीटर चौड़ाई)

(3) उपर्युक्त मूल्य टाट तथा कच्ची अलसी के तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि के अनुसार घटते बढ़ते रहेंगे जैसा कि नीचे बताया गया है :—

(i) **टाट**:—प्रशुल्क आयोग ने बताया है कि लिनोलियम बैकिंग का मूल्य निर्धारित करने का एक उपयुक्त तरीका यह होगा कि इसका मूल्य कारपेट बैकिंग के प्रचलित मूल्य से 10% कम रखा जाये । अत: भविष्य में कारपेट बैकिंग के मूल्य में किसी भी प्रकार का अन्तर होने पर दोनों के मूल्य के बीच 10% का अन्तर अवश्य बनाये रखा जाना चाहिये सिवा इसके कि जब तक कारपेट बैकिंग के मूल्य 4024 रु० प्रति मी० टन के मूलभूत आंकड़ों की अपेक्षा 10% अथवा इससे अधिक की वृद्धि अथवा कमी होती है, लिनोलियम के मूल्यों में कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । टाट की लागत में प्रति मी० टन होने वाली प्रत्येक 100/- रुपये की वृद्धि अथवा कमी पर 10% कमी या वृद्धि का तात्पर्य यह होगा कि सादे लिनोलियम के प्रत्येक दो वर्गमीटर (अर्थात् 2 मीटर की प्रतिमानित चौड़ाई वाले प्रत्येक मीटर पर) पर 6 पैसे की वृद्धि तथा खचित और छपी किस्मों पैरा 13.3.1.5 के साथ पठित पैरा 13.3.1.3) में तदनुरुप 7 पैसे का परिवर्तन हो जायेगा ।

(ii) **अलसी का तेल** :—कच्ची अलसी के तेल का प्रशुल्क आयोग द्वारा स्वीकृत 3,350 रु० प्रति मी० टन मूल्य में 10 प्र० श० की वृद्धि होने पर लिनोलियम उत्पादों के मूल्य में प्रति मीटर वृद्धि या कमी की जायेगी (2 वर्गमीटर के बराबर) पर प्रति मी० टन 100/- रुपये के हिसाब से जैसा कि नीचे दिखाया गया है, अलसी के तेल के वास्तविक बाजार मूल्य (औसत छः सप्ताह) निर्धारित मूल्य से कम अथवा अधिक होगा :— (पैरा 13.3.2.3)

| किस्म | वृद्धि |
|---|---|
| **सादा** | रु०/मी० (2 मी० चौड़ाई) |
| 4.5 मि० मी० | 0.32 |
| 3.2 मि० मी० | 0.20 |
| 2.0 मि० मी० | 0.12 |
| **खचित** | |
| 2.00 मि० मी० | 0.15 |
| 1.65 मि० मी० | 0.10 |
| **प्रिन्टेड** | |
| 1.65 मि० मी० | 0.06 |

(पैरा 13.3.2.3)

(1) 4% के न्यूनतम बोनस पर 16% का अतिरिक्त बोनस अनिवार्यतः देय किए जाने की अवस्था में लिनोलियम के मूल्यों में निम्नलिखित वृद्धि होगी :—

| किस्म | वृद्धि |
|---|---|
| सादा | रु०/मी० ( 2 मी० चौड़ा) |
| 4.5 मि० मी० | 0.44 |
| 3.2 मि० मी० | 0.32 |
| 2.0 मि० मी० | 0.24 |
| खचित | |
| 2.0 मि० मी० | 0.24 |
| 1.65 मि०मी | 0.20 |
| प्रिन्टेड | |
| 1.65 मि० मी० | 0.24 |
| इण्डोलियम (पेल्ट बेस्ड) | 0.12 |

(पैरा 13.12.7)

सी० बालसुब्रमण्यम,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973